विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	**कृषि**
तारांकित प्रश्न संख्या	:	**5062**
उत्तर की तिथि	:	**11–03–2022**
विषय	:	**भवनों का ब्यौरा**
प्रश्नकर्ता का नाम	:	**श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी)**
सम्बन्धित मन्त्री	:	**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री**

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे किः– (क) गत तीन वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक कृषि विभाग बिलासपुर के अन्तर्गत कहां–कहां भवनों का निर्माण हुआ है; कौन–कौन से भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं व कौन से भवन उपयोग में नहीं लाए जा रहे है; कारण सहित ब्यौरा दें;	(क) (ख) (ग) व (घ) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है ।
(ख) श्री नैना देवी जी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत छकोह व गलुआ कार्यालय को उपयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा है इन्हें उपयोग में लाने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है;	
(ग) यह सत्य है कि जुखाला के आवासीय भवनों की जर्जर स्थिति बनी हुई है; और	
(घ) अनुपयोगी भवनों के सुधार की क्या योजना है तथा इन्हें कब तक उपयोग में लाया जायेगा ?	

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैनादेवी जी) द्वारा पूछे गये तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 5062 से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) गत तीन वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक कृषि विभाग बिलासपुर के अन्तर्गत 3 भवनों का निर्माण हुआ है। वर्ष 2018–19 में स्टोर एवं चौकीदार आवास औहर, 2019–20 में आवासीय भवन घुमारवीं और वर्ष 2020–21 में कृषि सामग्री भण्डारण भवन घराण का निर्माण हुआ है। वर्तमान में सभी भवन उपयोग में लाये जा रहे है।

(ख) छकोह भवन का निर्माण भ्रमण एवं प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1995 में किया गया था। भ्रमण एवं प्रशिक्षण परियोजना के समाप्त होने के उपरान्त छकोह में कृषि प्रसार केन्द्र अस्तिव में नहीं रहा, जिसके कारण वर्तमान में यह भवन उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। वर्तमान में गलुआ में निर्मित भण्डार केन्द्र वर्ष 2013 में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग बिलासपुर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के अन्तर्गत भूमि सहित स्थानांत्रित कर दिया गया है। अब उक्त भण्डार केन्द्र कृषि विभाग के अधीन नहीं है। न ही गलुआ में कृषि विभाग का कोई कार्यालय है।

(ग) जुखाला में विभाग के दो आवासीय भवन (टाईप–1 व टाईप–2) है, जो कि बहुत पुराने होने के कारण जर्जर स्थिति में है मुरम्मत लायक नही है। अतः इन दोनो आवासीय भवनों को असुरक्षित घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी

(घ) उपरोक्त (ग में वर्णित) अनुपयोगी भवनों की वर्तमान दशा ऐसी है कि उनके उपयोग की सम्भावना नहीं है।